कार्यालय, उप विकास आयुक्त, औरंगाबाद।

आदेश–पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक, 1941 का विषय 129)

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
03.10.2025 को अपराह्न 4:45	**<u>आदेश</u>** **<u>अभिलेख उपस्थापित</u>** **नवगठित जम्होर नगर पंचायत के प्रारूप का प्रकाशन हो गया है।** दिनांक–25/09/2025 को समय–4:45 में **लक्ष्मन सिंह अध्यक्ष, भोपतपुर पैक्स, बारूण, औरंगाबाद** से आपति प्राप्त हुआ। आपति निम्नवत् है– 1. नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार के ज्ञापांक–11/न0वि0/गठन–04/2025–2086 न0वि0 एवं आ0वि0 पटना दिनांक–22/07/2025 द्वारा नव गठित नगर पंचायत जम्होर के अधिसूचना में सम्मलित ग्रामो का नाम एवं थाना न0 जम्होर (105) तथा सरसौली (290) है, जिसके चौहदी पश्चिम–पौथु (106) रढुआ (110) चेत विगहा (111) तथा दुधैला (102) है। परन्तु जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक–2153, दिनांक–17/09/2025 के द्वारा प्रकाशित परिसीमन वार्ड नंबर 05 (पॉच) जम्होर टोले जीवन बिगहा के परिसीमन के चौहदी में पश्चिम–पुनपुन नदी दिखाया गया है, जो बारूण प्रखंड के भोपतपुर पंचायत अन्तर्गत रढुआ मौजा थाना न0–110 में पड़ता है। 2. नगर पंचायत जम्होर के प्रमाणित नक्शा में रढुआ मौजा 110 को भी जम्होर नगर पंचायत में दिखलाया गया है, जो आपति जनक है। • इस संदर्भ में आज दिनांक–25/09/2025 को **लक्ष्मन सिंह अध्यक्ष, भोपतपुर पैक्स, बारूण, औरंगाबाद** से प्राप्त आपति के जॉच हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी, औरंगाबाद/ओबरा एवं अंचलाधिकारी औरंगाबाद/ओबरा को इस कार्यालय के पत्रांक–303, दिनांक–25.09.2025 से संयुक्त जॉच हेतु दिया गया। तथा आपतिकर्त्ता के साथ दिनांक–03/10/2025 को सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित किया गया। • दिनांक–03/10/2025 को आपतिकर्त्ता एवं अंचलाधिकारी, औरंगाबाद एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, औरंगाबाद ने सुनवाई में भाग लिया गया है। सुनवाई में अंचल अधिकारी, औरंगाबाद के द्वारा अपने पत्रांक–3946, दिनांक–03.10.2025 से जॉच प्रतिवेदन आपति के बिन्दुओं पर दिया गया। • **जॉच प्रतिवेदन निम्नवत् है–** 1. नव गठित नगर पंचायत जम्होर के नजरी नक्शा में पूर्व में पश्चिम तरफ पुनपुन नदी दिखाया गया था, जिसके कारण बारूण प्रखंड के भोपतपुर पंचायत अंतर्गत मौजा रढुआ, थाना नं0 110 नवगठित जम्होर नगर	

मौजा–रढुआ, थाना नं0–110, नवगठित जम्होर नगर पंचायत के अंतर्गत आ गया था। आपति के आलोक में स्थल सत्यापन के उपरांत पाया गया कि नव गठित नगर पंचायत जम्होर के वार्ड नं0–05 का पश्चिम दिशा की चौहद्दी में मौजा–रढुआ, थाना नं0–110 एवं मौजा–दुधौला, थाना नं0–102 पड़ता है। अब वार्ड न0–5 का संशोधित चौहद्दी मौजा–रढुआ, थाना नं0–110 एवं मौजा–दुधौला, थाना नं0–102, चौहद्दी का संशोधन कर लिया गया है।

2. वर्तमान में चौहद्दी सुधार कर दिया गया है। नवगठित नगर पंचायत जम्होर में मौजा–रढुआ, थाना नं0–110 पंचायत भोपतपुर अंचल बारूण नहीं लिया गया है। वार्ड नं0–5 का संशोधित चौहद्दी मौजा–रढुआ, थाना नं0–110 है।

आपतिकर्त्ता द्वारा अपने दिये गये आपति पर अंचलाधिकारी, औरंगाबाद एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, औरंगाबाद से प्राप्त प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान किया गया।

<u>अधोहस्ताक्षरी के द्वारा पारितत्र अंतिम आदेश निम्नवत् है–</u>

उप विकास आयुक्त, औरंगाबाद के द्वारा आदेश दिया गया की अंचलाधिकारी, औरंगाबाद एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, औरंगबाद के द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में चौहद्दी सुधार हेतु जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक–43(मु0) दिनांक–08.09.2025, नवगठित जम्होर नगर पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वांर्ड) के परिसीमन एवं गठन हेतु गठित कमिटि को भेजने का निदेश दिया गया। साथ ही इस संबंध में जिला पदाधिकारी द्वारा परिसीमन हेतु गठित कमिटी को चौहद्दी से संबंधित किसी भी प्रकार के त्रुटि निराकरण करने का निदेश संबंधित कमिटि को दिया गया।

उप विकास आयुक्त,
औरंगाबाद

उप विकास आयुक्त,
औरंगाबाद।

ज्ञापांक– 369 / गो0वि0, दिनांक– 9/10/2025

प्रतिलिपि– **श्री ब्रजेश कुमार, ग्राम–भोपतपुर, पो0–सिरिस, प्रखंड–बारूण/** श्री [illegible] सिंह, [illegible], भोपतपुर [illegible], [illegible]। श्री को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–, नवगठित जम्होर नगर पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) के परिसीमन एवं गठन हेतु गठित कमिटि के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

उप विकास आयुक्त,
औरंगाबाद

उप विकास आयुक्त,
औरंगाबाद।